# उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

## //आदेश//

क्रमांक C/1435 / जबलपुर, दिनांक 20/03/2019

श्री संदीप कुमार नामदेव आत्मज श्री मुन्नालाल नामदेव ने रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1034 जबलपुर, दिनांक 26.02.2019 के पालन में संविदा नियुक्ति पर लॉ क्लर्क कम–रिसर्च असिस्टेंट के पद पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर निश्चित मानदेय रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर पर दिनांक 08.03.2019 पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया।

19.3.19
(सतीश चन्द्र राय)
**रजिस्ट्रार(प्रशासन)**

पृ.क्र C/1436 / जबलपुर, दिनांक 20/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन/बजट/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19.3.19
(सतीश चन्द्र राय)
**रजिस्ट्रार(प्रशासन)**

::—::

//R-C-6//

**उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर**
**// आदेश //**

क्रमांक D/2170 / जबलपुर, दिनांक 20 /03/2019

श्री मैथ्यू मीनू पौथन, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदस्थापना गोपनीय शाखा में की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि वे श्री मुकेश द्विवेदी डिप्टी रजिस्ट्रार (गोपनीय शाखा) के दिशा निर्देश में कार्य संपादित करेंगें।

19/3/19
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
**रजिस्ट्रार जनरल**

पृष्ठांकन क्रमांक D/2171 / जबलपुर, दिनांक 20/03/2019
प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार,..........उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ............ उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. अनुभाग अधिकारी अभिलेखागार (प्रशा.)/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
8. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
9. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
10. श्री मैथ्यू मीनू पौथन, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सतीश चन्द्र राय)
**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक ......D/2172/ जबलपुर, दिनांक 29/03/2019

श्रीमती रंजना नेल्सन, पत्नि स्व. श्री नितिन नेल्सन, को सहायक ग्रेड–तीन के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रूपये 5200– 20200 + ग्रेड पे रू. 1900/–)(7 वें वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500–62000) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन एवं डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण करने की शर्त को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त किया जाता है :–

1. यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगी।

2. यह कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविघालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉं दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं । यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूलप्रतियों को लेकर उपस्थित होंगी। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करती है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।

5. यह कि, उन्हें स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगी और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगी। उन्हें स्वाध्यायी छात्रा के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7. यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगी तो उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

9. यह कि उन्हें किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

29/3/19

10. यह कि उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी

11. यह कि उन्हें लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे एवं सभी शर्तो के संबंध में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

12. यह कि वे पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

13. यह कि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण– पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति रजिस्ट्रार जनरल दे सकेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार
19/3/19
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल )

पृष्ठांकन क्रमांक D/2173 /

जबलपुर, दिनांक : 20 /03/2019

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./व्ही.एल./(निरी. एवं सतर्कता) /एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र., मुख्यपीठ जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार ................................, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ......................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्रीमती रंजना नेल्सन, पत्नि स्व. श्री नितिन नेल्सन, म.नं. 1630, न्यू क्रिश्चियन कालोनी, वैस्ट घमापुर जबलपुर ,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(सतीश चन्द्र राय)
**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**

# उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक D/2174 /                                                        जबलपुर, दिनांक 29 / 03 / 2019

श्रीमती इशरत जहाँ पत्नि स्व. श्री सऊद अहमद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, भृत्य के पद पर वेतनमान रूपये 4440–7440/–+ग्रेड पे रू. 1300/–) (7 वें वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500–49000) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तो पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।
2. यह कि इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविघालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नही करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
6. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हे अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
7. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
8. कर्मचारी को समय–समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
9. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2175 /　　　　　　　　　　जबलपुर, दिनांक 20/03/2019

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./व्ही.एल./(निरी. एवं सतर्कता) /एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम—पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म.प्र., मुख्यपीठ जबलपुर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1802103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार ..............................., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ......................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल. आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्रीमती इशरत जहॉ पत्नि स्व. श्री सऊद अहमद, 4100/आर—58, न्यू अहमद नगर द्वारा जाकिर होटल महोरिया अधारताल, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(सतीश चन्द्र राय)
**रजिस्ट्रार (प्रशासन)**

प्रीति/सी—3

::—::